न्यायालयः औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल कुमार सक्सेना
राज0 न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या–एल.सी.आर. संख्या–06/2018
(लक्षित प्रकरण क्रमांक–47)

प्रसंगः राजस्थान सरकार, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.1(1)21/श्र.नि./2018 दिनांक 23.04.2018

जुम्मे खॉ पुत्र स्व0 सुरजन खॉ निवासी ग्राम कुरमुकाबास पोस्ट छीछरवाडी तहसील कामां जिला भरतपुर (राज0)।

...प्रार्थी

बनाम

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन, ज्योति नगर मुख्यालय जयपुर।
2. चीफ इंजीनियर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 भरतपुर।
3. सुप्रीडेन्टिग इंजीनियर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 भरतपुर।
4. एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (जी.एण्ड एम) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 डीग तह0 कामां जिला भरतपुर।

....अप्रार्थीगण

निर्देश/विवाद अन्तर्गत धारा 10(1)ग औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

उपस्थिति प्रतिनिधि/अधिवक्तागण :–
प्रार्थी की ओर से : श्री एस.आर. वरिष्ठ
अप्रार्थीगण की ओर से : श्रीमती सुमन कुमारी

पंचाट

दिनांक 09.03.2026

01. राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे चलकर 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 10 (1) ग सपठित धारा 12(5) के तहत यह औधोगिक विवाद इस न्यायालय में अधिनिर्णय हेतु प्रेषित किया हैः–

''क्या जुम्मे खॉ पुत्र स्व0 सुरजन खॉ उम्र 52 वर्ष करमुकाबास पोस्ट छीछरवाडी तहसील कामां जिला भरतपुर को नियोजक पक्ष प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत मार्ग, ज्योति नगर मुख्यालय जयपुर एवं चीफ इंजीनियर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 भरतपुर/सुप्रीडेन्टिग इंजीनियर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 भरतपुर/एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (जी.एण्ड एम) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 डीग तह0 कामां जिला भरतपुर द्वारा दिनांक 01.12.2016 से कार्यमुक्त किया जाना उचित एवं वैध है? यदि नहीं तो श्रमिक किस राहत एवं राशि को पाने का अधिकारी है?''

02. स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–4 द्वारा प्रार्थी श्रमिक की नियुक्ति अगस्त 2001 में ''**विद्युत बिल बांटने के कार्य**'' के लिये एक रूपया प्रति बिल के हिसाब से वेतन के आधार पर बिल वितरक के रिक्त एवं स्थाई पद पर की गई थी। प्रार्थी श्रमिक को उक्त नियुक्ति के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के बिद्युत बिल वितरण एवं विद्युत सम्बन्ध विच्छेद की सूचना अपभोगताओं सुपुर्द करनी होती थी। प्रार्थी की उक्त नियुक्ति मण्डल के आदेश संख्या 1780 दिनांक 10.06.1996 के तहत की गई थी। प्रार्थी से नवम्बर 2016 तक सेवाऐं ली गई, किन्तु इसके उपरान्त दिनांक 01.12.2016 से प्रार्थी से कार्य लेना बन्द कर मौखिक रूप से सेवा समाप्त कर दी और नये व्यक्तियों से कार्य लेना प्रारंभ कर दिया। जब प्रार्थी ने स्थाई पद व वेतन देने की मॉग की तो उसे सेवा से ही हटा दिया गया। प्रार्थी को नियुक्ति के उपरान्त उसका वेतन (पीस रेट) समय से बढाया जाता रहा। लेकिन स्थाई बिल वितरक को मिलने वाले वेतन से उक्त राशि कम थी। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण सेवा अवधि में प्रति वर्ष 240 दिवस से अधिक की सेवाऐं अप्रार्थीगण के समक्ष पूर्ण की गई। सेवा समाप्ति से पूर्व प्रार्थी को न तो कोई नोटिस दिया, ना ही नोटिस पे, अथवा छंटनी मुआवजा दिया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25एफ, जी, एच व एन का स्पष्ट उल्लंघन है तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम 77 व 78 की अवहेलना है। सेवा समाप्ति से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई। प्रार्थी ने कभी भी ठेके पर कार्य नहीं किया

और ना ही वह ठेकेदार के रूप में रजिस्टर्ड है। अतः इस आशय का अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थी की सेवा मुक्ति आदेश को अवैध व शून्य घोषित किया जावे तथा बिल वितरक के पद के पिछले समस्त वेतन व सेवा परिलाभ निरन्तरता कि साथ सेवा में बहाल किया जावे। प्रार्थी का पद बिल वितरक का घोषित किया जावे और प्रथम नियुक्ति की तिथि से उक्त पद की वेतन श्रंखला व लाभ दिलवाया जावे व उसके पद को स्थाई घोषित किया जावे तथा मानसिक पीडा के तौर पर क्षतिपूर्ति दिलवाई जावे तथा बकाया वेतन पर 18 प्रतिशत ब्याज भी दिलवाया जावे।

03. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रारभिंक आपत्ति यह ली गई है कि, अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के पदनाम का कोई पद नहीं है। अतः इसी आधार पर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। यह भी कथन किया गया है कि, प्रार्थी की नियुक्ति अगस्त 2001 में बिल वितरक के स्थाई व रिक्त पद के विरूद्ध नहीं की गई थी। प्रार्थी द्वारा अपनी फर्म ''**श्री जुम्मे खॉ ठेकेदार**'' के जरिये अप्रार्थीगण के कामां क्षेत्र के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं के बिल वितरण व विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नोटिस बांटने का ठेका **सी.एल.आर. सी.** रेट के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित निश्चित समयावधि हेतु विभिन्न अनुबन्धों के आधार पर लिया गया था। उक्त फर्म का ठेका अनुबन्ध में देय शर्तो के अधीन स्वमेव समाप्त हो गया। क्योंकि दिसम्बर 2016 से बिल वितरण का कार्य निगम के नियमित कर्मचारियों (फीडर इन्चार्ज) द्वारा स्पोर्ट बिलिंग के तहत संपादित होने लग गया। प्रार्थी की नियुक्ति न तो स्थाई पद पर की गई और ना ही विभाग द्वारा उसे वेतन दिया जाता था। बल्कि प्रार्थी की फर्म द्वारा सी.एल. आर.सी. दरों के आधार पर पूर्व निर्धारित निश्चित समयावधि के लिये ठेका विभिन्न अनुबन्धों के आधार पर लिया था। जिस अवधि में कार्य किया था उस अवधि का सम्पूर्ण भुगतान फर्म ''**श्री जुम्मे खॉ ठेकेदार**'' को किया जा चुका है। अतः क्लेम खारिज करने की प्रार्थना की है।

04. प्रार्थी द्वारा बगैर न्यायालय की अनुमति के दिनांक 28.07.2020 को रिजोइण्डर प्रस्तुत कर दिया गया था। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.02.2021 द्वारा रिकार्ड पर नही रखने

का आदेश दिया गया। अतः उक्त रिजोइण्डर रिकार्ड पर नहीं लिया जाकर कानूनन नहीं पढा जायेगा।

05. मौखिक साक्ष्य में प्रार्थी जुम्मे खॉ ने अपने बयान लेखबद्ध कराये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श डब्ल्यू–1 लगायत प्रदर्श डब्ल्यू–39 प्रदर्शित कराये गये। अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में रामहंस मीणा ने अपने बयान लेखबद्ध कराये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श एम–1 लगायत प्रदर्श एम–2 प्रदर्शित कराये गये।

06. उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का आध्योपान्त परीशीलन किया गया एवं सुसंगत विधि का विवेचन किया।

07. बहस के दौरान विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क यह रहा है कि, प्रार्थी की नियुक्ति बिल वितरक के रूप में अगस्त 2001 में एक रूपया प्रति बिल के हिसाब से वेतन के आधार पर रिक्त एवं स्थाई पद पर की गई थी। बाद में इसे बढाकर 1.50रू0 प्रति बिल कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा नियुक्ति तिथि से प्रत्येक वर्ष में 240 दिन से अधिक का कार्य किया गया है। किन्तु अप्रार्थीगण ने दिनांक 01.12.2016 को मौखिक आदेश से उसकी सेवाऐं समाप्त कर दी गई। सेवा समाप्ति से पूर्व उसे कोई नोटिस, नोटिस पे अथवा छंटनी पे नहीं दी गई, इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अधिनियम की धारा 25एफ, जी, एच व एन का उल्लंघन किया गया तथा नियम 77–78 की अवहेलना की गई है। अतः प्रार्थी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा मार्गदर्शन हेतु निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

1. एस.सी.आर. 2024(03)पेज 627 महानदी कोल फील्ड लि. बनाम बृजराज नगर कोल माईन्स वर्कस यूनियन
2. सिविल अपील नम्बर 8558/2018(एस.सी) धर्मसिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी निर्णय दिनांक 19.08.2025
3. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 8295/2023 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय निर्णय 08.07.2025 विनोद कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया
4. एस.एल.पी. नम्बर 5580/2024 (एस.सी.)निर्णय दिनांक 20.12.2024 जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया।

08. इन तर्को के खण्डन में विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी लिखित बहस पेश की गई, जिसमें उनका यह तर्क रहा है कि, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के नाम से कोई पद नहीं है। वास्तव में प्रार्थी की नियुक्ति स्थाई कर्मचारी के रूप में नहीं की गई थी, बल्कि पूर्व निर्धारित शर्तो व निश्चित समयावधि के लिये संविदा के आधार पर प्रार्थी फर्म ''**श्री जुम्मे खॉ ठेकेदार**'' को बिल वितरण व विद्युत सम्बन्ध विच्छेद की सूचना के नोटिस वितरण करने का ठेका दिया गया था। उक्त फर्म द्वारा किये गये कार्य का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। बाद में निगम के स्थाई कर्मचारियों से बिल वितरण का कार्य स्पॉट बिलिंग के आधार पर संपादित होने के कारण फर्म का ठेका समाप्त हो गया। चूंकि प्रार्थी कभी भी अप्रार्थीगण के अधीन बतौर श्रमिक सेवारत नहीं रहा है। प्रार्थी को केवल संविदा के आधार पर उसकी फर्म को ठेका दिया गया था। अतः वरिष्ठता सूची बनाये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इनका एक तर्क यह भी रहा है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य श्रमिक एवं नियोक्ता के सम्बन्ध स्थापित नहीं होते है क्योंकि प्रार्थी की नियुक्ति राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक 1780 दिनांक 10.06.1996 के तहत पूणतया अनुबन्ध के आधार पर अस्थाई तौर पर की गई थी। तथा उसकी नियुक्ति स्थाई पद पर नहीं की गई थी। स्वयं प्रार्थी ने अपनी जिरह में यह माना है कि प्रदर्श एम–1 उपरोक्त आदेश वही आदेश है जिसके द्वारा प्रार्थी को अनुबन्ध के आधार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को कार्य करने का ठेका दिया गया था। अतः स्टेटमेंट ऑफ क्लेम खारिज किया जावें। अप्रार्थीगण की ओर से मार्गदर्शन हेतु न्यायिक दृष्टान्त एल.एल.जे 2006(2)(एस. सी)पेज 1046 एस.बी.बी.जे. बनाम ओमप्रकाश पेश किया गया।

09. समस्त तर्को पर गम्भीरता पूर्वक मनन् करने के उपरान्त उपरोक्त विवाद्यक बिन्दु पर हमारा निर्णय निम्नानुसार है :–

> ''क्या जुम्मे खॉ पुत्र स्व0 सुरजन खॉ उम्र 52 वर्ष करमुकाबास पोस्ट छीछरवाडी तहसील कामां जिला भरतपुर को नियोजक पक्ष प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत मार्ग, ज्योति नगर मुख्यालय जयपुर एवं चीफ इंजीनियर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 भरतपुर/सुप्रीडेन्टिग इंजीनियर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 भरतपुर/एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (जी.एण्ड एम) जयपुर

विद्युत वितरण निगम लि0 डीग तह0 कामां जिला भरतपुर द्वारा दिनांक 01.12.2016 से कार्यमुक्त किया जाना उचित एवं वैध है? यदि नहीं तो श्रमिक किस राहत एवं राशि को पाने का अधिकारी है?''

उपरोक्त विवाद्यको के सम्बन्ध में अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के गहन अवलोकन, विश्लेषण एवं विवेचन एवं उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के ससम्मान अध्ययन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि प्रार्थी ने स्वयं को अप्रार्थीगण के अधीन अगस्त 2001 से नवम्बर 2016 तक बतौर बिल वितरक रिक्त/स्थाई पद के विरूद्ध कार्य करना बताया है और दिनांक 01.12.2016 के मौखिक आदेश से सेवामुक्त करना बताया है। प्रार्थी ने प्रत्येक वर्ष में 240 दिन से अधिक सेवारत रहना बताया है। जबकि अप्रार्थीगण के मुताबिक प्रार्थी कभी भी बिल वितरक के रिक्त/स्थाई पद के विरूद्ध कार्यरत नहीं रहा है। बल्कि प्रार्थी की प्रौपराईटर फर्म **श्री जुम्मे खॉ ठेकेदार द्वारा** निश्चित समयावधि के लिये व पूर्व निर्धारित शर्तो के अनुसार अनुबन्ध पर बिल वितरण एवं विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नोटिस वितरण का कार्य सीएलआरसी रेट के आधार पर किया गया था। बाद में दिसम्बर 2016 से बिल वितरण का कार्य निगम के नियमित कर्मचारियों द्वारा स्पॉट बिलंग के तहत संपादित होने के कारण, प्रार्थी फर्म का ठेका अनुबन्ध मे देय शर्तो के अधीन स्वमेव समाप्त हो गया।

10. अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य का गहन अवलोकन, विष्लेषण एवं विवेचन करने के उपरान्त यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी की नियुक्ति अगस्त 2001 में बिल वितरक के रूप में नियुक्ति नही की गई थी जबकि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि बिल वितरण का कार्य **श्री जुम्मे खॉ ठेकेदार** को दिया गया था। दस्तावेज प्रदर्श डब्ल्यू–6 लगायत प्रदर्श डब्ल्यू–8 एवं प्रदर्श डब्ल्यू–10 लगायत प्रदर्श डब्ल्यू–15 की क्रम संख्या 3 व 5 पर स्पष्ट रूप से ''**कोन्ट्रेक्टर**'' शब्द का प्रयोग किया गया है। उक्त सभी दस्तावेज प्रार्थी श्री जुम्मे खॉ को संबोधित किये गये है। यदि प्रार्थी बिल वितरक कर्मचारी होता तो उक्त दस्तावेजात में उसके लिये **कोन्ट्रेक्टर** शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दस्तावेज प्रदर्श डब्ल्यू–9 कार्यालय आदेश में भी बिल वितरण का कार्य मै0 जुम्मे खॉ पुत्र सुरजन करमुकावास कामां के पक्ष में जारी

किया गया है। जो अपने आप में यह प्रकट कर रहा है कि उक्त कार्य फर्म को दिया गया है ना कि जुम्मे खॉ को व्यक्तिगत हैसियत बतौर श्रमिक/बिल वितरक दिया गया है। दस्तावेज प्रदर्श डब्ल्यू–17 लगायत प्रदर्श डब्ल्यू–19 व प्रदर्श डब्ल्यू–22, प्रदर्श डब्ल्यू–24 लगायत प्रदर्श डब्ल्यू–27, प्रदर्श–30, प्रदर्श–34, प्रदर्श–36, व प्रदर्श डब्ल्यू–39 बिल वितरण के कार्य के बिल है, जो **श्री जुम्मे खॉ ठेकेदार** के लैटर पैड पर बनाये गये है। यदि प्रार्थी श्रमिक होता तो फिर उसके द्वारा श्री जुम्मे खॉ ठेकेदार के नाम से बिल क्यों दिया जाता? दस्तावेज प्रदर्श डब्ल्यू–20, प्रदर्श–32, प्रदर्श–37 में भी श्री जुम्मे खॉ को ठेकेदार के रूप में संम्बोधित किया गया है। उक्त सभी दस्तावेज स्वयं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये है, जो उसके अभिवचनों के विपरीत है। दस्तावेज प्रदर्श एम–1 आदेश क्रमांक 1780 दिनांक 10.06.1996 में भी बिल वितरण कार्य के लिये संविदा किये जाने का उल्लेख किया गया है।

11. मौखिक साक्ष्य में प्रार्थी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसकी नियुक्ति आर.एस.ई.बी के आदेश सांख्या 1780 दिनांक 10.06.1996 के द्वारा की गई थी और उसे इस आदेश के नियम व शर्तो की पूरी जानकारी थी। जिरह में इसने प्रलेखीय साक्ष्य के विपरीत कथन किया है कि, उसे उक्त आदेश के द्वारा किसी अनुबन्ध पर नहीं रखा गया था। उसने यह कार्य ठेके पर नहीं लिया था। इस प्रकार प्रार्थी के बयान प्रलेखीय साक्ष्य के विपरीत है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमति व्यक्त करते है किन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इनका कोई लाभ प्रार्थी को प्राप्त नहीं होता है।

12. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं स्पष्ट एवं ठोस प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी श्री जुम्मे खॉ ने बिल वितरण व विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नोटिस वितरण का कार्य निगम के श्रमिक के रूप में नही किया है। बल्कि संविदा के आधार पर बतौर ठेकेदार निश्चित समयावधि व निश्चित शर्तो के तहत सीएलआरसी दरों पर किया है। निगम में स्पॉट बिलिंग का कार्य स्थाई कर्मचारियों द्वारा संपादित किये जाने के कारण उक्त संविदा समाप्त हो गयी थी। जब प्रार्थी अप्रार्थीगण के अधीन बतौर श्रमिक

सेवारत था ही नहीं तो उसे अवैध रूप से सेवामुक्त किया जाना साबित नहीं होता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य श्रमिक एवं नियोक्ता के सम्बन्ध विद्यमान होना साबित नहीं होता है।

13. परिणामतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारी विनम्र राय में प्रार्थी श्रमिक जुम्मे खॉ पृथम दृष्टया यह साबित करने में असफल रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा उसकी नियुक्ति की गई हो और उसे दिनांक 01.12.2016 को सेवामुक्त किया गया हो, जो अवैध व अनुचित हो। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण से किसी प्रकार की राहत व राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम उपरोक्तानुसार एतद् द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्त प्रकार से रेफरेंस का उत्तर दिया जाकर पंचाट पारित किया जाता है।

''पंचाट की प्रति प्रकाशन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित हो।''

(अतुल कुमार सक्सेना)
न्यायाधीश,
औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
भरतपुर राज0

पंचाट आज दिनांक–09.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(अतुल कुमार सक्सेना)
न्यायाधीश,
औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
भरतपुर राज0